न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 37 / 2017

श्री राजेश कुमार जांगीड़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री विक्रम सिंह चौहान, मैसर्स केशव ट्रेडर्स, एम.जी. रोड़ प्रतापगढ़

2. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री काली कुमार झा, M/s Gujrat co-operative milk marketing federation Ltd., Udaipur GCMMF LTD., Udaipur plot no. 5 & 6 opp. Roshan ji ki badi st, 301002 udaipur

3. M/s Gujrat co-operative milk marketing federation Ltd., Udaipur GCMMF LTD., Udaipur plot no. 5 & 6 opp. Roshan ji ki badi st, 301002 udaipur

4. श्री सन्नी अशोक भाई खरवा पुत्र श्री अशोक भाई लाल जी खरवा, Ms Vidhya dairy, Anand, Anand agriculture university campus, Anand 388110 गुजरात

– अप्रार्थीगण

:–आदेश–:

दिनांक 31 / 01 / 2022

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड आईसकीम का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 [illegible] है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट [illegible] नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 [illegible] रिपोर्ट असल, खाद्य वि[illegible]जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद [illegible] नमूना मय फार्म नं0 6 [illegible] प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:52:37 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.04.2017 को 12.10 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स केशव ट्रेडर्स, एमजी रोड़ प्रतापगढ़ पहुंचा व अपना परिचय दिया। उस समय दुकान पर श्री जयेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री विक्रम सिंह चौहान उपस्थित थे एवं संथान पर आईसक्रीम आदि विक्रय हेतु पाये गये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्था का मालिक स्वयं का होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र मांगने पर प्रस्तुत किया जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण करने पर आईसक्रीम काजू द्राक्ष (अमूल ब्राण्ड) के 750–750 एमएल वाले 37 पार्टी पैक आमजन को विक्रय वास्ते एक डीप फ्रिज के अन्दर रखे हुए थे। जिन पर फार्म 5ए दर्शाये अनुसार जानकारी अंकित थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आईसक्रीम में मिसब्राण्ड/अनसेफ/सबस्टेण्डर्ड का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने नमूना जॉच वास्ते हेतु लेने की सूचना मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर नियमानुसार मौके पर दी एवं रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को अवगत कराया गया था कि आईसक्रीम का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत लिया जा रहा है। प्रपत्र 5ए की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ को M/s Gujrat co-operative milk marketing federation Ltd., Udaipur GCMMF LTD. से खरीदने का बिल/वेट इनवोईस 161614780 दिनांक 12.04.2017 की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहो एवं मालिक की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ आईसक्रीम काजू द्राक्ष (अलमू ब्राण्ड) के 750–750 एमएल वाले 37 पार्टी पैक मे से 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु मालिक विक्रेता से खरीदे जिसकी कीमत मालिक विक्रेता को 480 रू नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाहान/मालिक/विक्रेता एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व गवाहान की उपस्थिति में कॉच के चार साफ सुखे एवं खाली जार लेकर उक्त खरीदशुदा आईसक्रीम के चारों पैकेटो को खोलकर एवं साफ सुखी एवं स्वच्छ स्टील की भगोनी में डाला फिर उक्त नमूना को चार बराबर मात्रा में बांटकर चारो कॉच के जारो में बराबर–बराबर डालकर भरा। प्रत्येक नमूना जारों में 49–49 बुंदे फार्मलीन की बतोर प्रिजरवेटीव डाली गई व चारो जारो को प्लास्टिक के ढक्कन से एयर टाईट बंद किया। जिस मूल पैकेटो को खोलकर नमूना लिया गया था वो चारो पैकेटो को अलग–अगल नमूना जारों के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:52:37 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

बांधा गया फिर लेबल तैयार किये जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ जिस पर कोड व क्रमांक वाई 855 अंकित कर अन्य विवरण लिखा। मालिक व गवाहान के हस्ताक्षर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल मे से एक लेबल प्रत्येक नमूना जारों पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूना जारों को अलग–अलग खाकी कागज मे लपेटकर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना जारो पर लेबल चिपकाने की कार्यवाही की गई। प्रत्येक सीलबंद नमूना नमूना जारों के कागज पर नमूने का विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाह ने हस्ताक्षर किये। मालिक ने पेपर स्लिप को क्रोस करते हुए आधे पेपर स्लिप व आधे रेपर पेपर पर हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारो सीलबन्द नमूना को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया। मौके पर खाद्य सुरक्षाअधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर,सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिन्होने पढ़,सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 18.04.2017 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 18.04.2017 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर दिनांक 18.04.2017 को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड उदयपुर को फार्म नं. 5ए की छायाप्रति तथा फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र [illegible] सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया आईसकीम [illegible] मिसब्राण्ड पाया गया है । खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्स चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक की जाँच रिपोर्ट की एक प्रति मैसर्स केशव ट्रेडर्स प्रतापगढ़ को एवं मैसर्स गुजरात कॉपरेटिव मिल्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:52:37 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner

मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड उदयपुर को अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की। मैसर्स गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड उदयपुर से पत्र द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति श्री संतोष कुमार ब्रांच मेनेजर का नोमीनेशन फार्म नं 9 मय बोर्ड आफ रेग्युलेशन की छायाप्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति व विद्या डेयरी आनन्द से खरीदने का इनवोईस फार्म की छायाप्रति प्राप्त हुई। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स विद्या डेयरी आनन्द को एक्साईज इनवोईस की छायाप्रति भिजाने व फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत् रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया। मैसर्स विद्या डेयरी डेयरी आनन्द से प्राप्त पत्र द्वारा नोमिनी श्री सन्नी अशोक भाई का पासपोर्ट की छायाप्रति, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ सेन्ट्रल सेल्स टेक्स एण्ड वेट की छायाप्रति, फर्म के खाद्य अनुाापत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्तो ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त नमूना दिनांक 17.04.2017 को लिया था, लेकिन अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने हेतु नोटिस दो माह बाद भेजा गया। यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई, करनाल) द्वारा किये गये शोध के आधार पर एक स्थापित तथ्य है कि फार्मलिन जोडने के बाद भी आईसक्रीम केवल दो महिने के लिए विश्वसनीय विश्लेषण के लिए फिट रहेगी। उन्होने निवेदन किया कि प्रतिवादी के खिलाफ शिकायतकर्ता किसी भी योग्यता से रहित है और प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। अतः अनके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है ।

हमने पत्रावली का गहन अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य विश्लेषक को बहस हेतु कई बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वह उपस्थित नहीं हुए। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को साबित करने हेतु लगातार अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण की कार्यवाही निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinay Pathak
Date: 2024.06.24 10:52:37 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

(गोपाललाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त

Scanned by CamScanner